होता वेंकट सूर्या शिवरामा शास्त्री

बनाम

आन्ध्रप्रदेश राज्य

(पी.बी.गजेन्द्रगडकर,ए.के.सरकार,के.सी. दास गुप्ता, एन राजगोपाल अयंगरऔर जे आर मुधोलकर, जे.जे)

सम्पदाओं का उन्मूलन - अधिसूचना द्वारा सम्पदाओं पर राज्य के अधिगृहण के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम-अधिनियम के संचालन से बाहर संपत्ति का हिस्सा-इसके संचालन का विस्तार करने वाला कानून-संपत्ति के संबंध में अधिसूचनाएं, प्रत्येक भाग अलग-अलग-वैधता-मद्रास अनुसूचित क्षेत्र सम्पदा (उन्मूलन और रैयतवाडी में रूपांतरण) विनियम, 1951 (1951 का विनियमन 4) धारा2- मद्रास संपदाएं (उन्मूलन और रैयतवाडी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948 (1948 का मद्रास 26), धाराएं 1(4), 3,25

विचाराधीन क्षेत्र दो संपदओं के भाग थे जो अपीलार्थियों से संबंधित थे, जिन्हें गंगोल ए और गंगोल सी कहा जाता है, वे गोदावरी एजेंसी मार्ग के रूप में जाने जाते थे जो अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 द्वारा शासित था। धारा 92 भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार, प्रो-विनशियल विधानमण्डल का कोई भी अधिनियम उन कुछ क्षेत्रों पर लागू

नहीं था जिनमें गोदावरी एजेंसी को शामिल किया गया था, जब तक कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देशित ना करें ।

मद्रास सम्पदा (उन्मूलन और रयतवाडी में रूपान्तरण) अधिनियम, 1948 में अधिनियमित किया गया था, और 15 अगस्त 1950 को मद्रास सरकार ने धारा 1 (4) के तहत अधिसूचना जारी कर 7 सितम्बर 1950 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया जिस दिनांक को कब्जा निहित होगाा जिसके द्वारा अन्य सम्पदाओं के साथ गंगोल A और गंगोल C को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया जाना था लेकिन जैसा कि धारा 92 भारत सरकार अधिनियम 1935 का विचार था, गोदावरी एजेन्सी मार्ग पर मद्रास अधिनियम 1948 को लागू करने के लिए केवल गंगोल सम्पदा के कुछ हिस्से उस अधिनियम के संचालन के भीतर थे, जबकि वहां सम्पदा के कुछ हिस्से थे, जो इसके दायरे व संचालन से बाहर थे। जब यह कानूनी स्थिति देखी गई तो 5 सितम्बर 1950 को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा विचाराधीन क्षेत्रों को 15, अग्रस्त 1950 की अधिसूचना से बाहर रखा गया है । संविधान की पॉचवी अनुसूचि के पैरा 5(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1951 का मद्रास विनियमन iv 8 सितम्बर 1951 को पारित किया गया जिसके द्वारा, 1948 का अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से दिनांक 19 अप्रेल 1948 से उन क्षेत्रों पर लागू किया गया जिनमें दो गंगोल सम्पदाएं शामिल थी । 14 जनवरी 1953 की मद्रास सरकार ने

एक अधिसूचना जारी कर गंगोल सम्पदा के उन हिस्सों को सौंप दिया, जिन पर 1948 के अधिनियम का विस्तार किया गया था । अपीलर्कताओं ने अधिसूचनाओं की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि मद्रास सम्पदा (उन्मूलन और रैयतवाडी में रूपान्तरण) अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों से पता चलता है कि अधिनियम सम्पदाओं को एक ईकाई के रूप में लेने पर विचार किया गया था, ना कि भागों में, जबकि सरकार ने वर्तमान मामले में जो किया था वह गंगोल A व गंगोल C की दो सम्पदाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना था जैसे कि उनमें से प्रत्येक वास्तव में दो सम्पदाएं थी, एक जो गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र में थी और दूसरी उस क्षेत्र के बाहर थी, और इन इकाईयों के संबंध में अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की थी ।

अभिनिर्धारित किया गया कि 15 अगस्त 1950 की पहली अधिसूचना जैसा कि 05 सितम्बर 1950 की तारीख से संशोधित की गई थी, उस सम्पत्ति के उस हिस्से को निहित करने के लिए वैध और प्रभावी थी, जिससे वह राज्य सरकार से संबंधित थी ।

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि 14 जनवरी 1953 की अधिसूचना समान रूप से वैध थी । अधिसूचना जारी करने में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही 1948 के अधिनियम की योजना के अनुरूप थी कि पूरी सम्पदा पर कब्जा कर लिया जाना चाहिए ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपीले 1960 की 646 और 647 की रिट अपील संख्या 149 व 150/1957

आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों व आदेशों दिनांकित 28 जनवरी 1958 से विशेष अनुमति द्वारा अपील ।

2 एस.सी. आर.सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 537

ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री और टी सत्यनारायण -याचिकाकर्ताओं की ओर से ए. रंगनाथम चेट्टी,एस वी पी वेंकटप्पया शास्त्री और टी.एम. सेन- प्रत्यर्थी की ओर से1961, 28 अप्रेल न्यायालय का निर्णय अयंगर.जे.द्वारा दिया गया । ये दो अपीलें विशेष अनुमति से है और जो संबंधित अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दो अपीलें आन्ध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित खारिज के आदेशों से उत्पन्न हुई है ।

14 जनवरी 1953 को मद्रास सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें केवल विशेष शब्दों को उद्धृत करने के लिए, "मद्रास सम्पदा (उल्मूलन और रैयतवाडी में रूपान्तरण) अधिनियम, 1948 की धारा 1 (4) सपठित के साथ पढे मद्रास अनुसूचित क्षेत्रों सम्पदा (उन्मूलन व रैयतवाडी में रूपान्तरण) विनियमन, 1951 की धारा 2 (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए)

“मद्रास के राज्यपाल एतद द्वारा 04 फरवरी 1952 की

तारीख को उस तारीख के रूप में नियुक्त करते है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान पश्चिम गोदावरी जिले के उन अनुसूचित क्षेत्रों की सम्पदाओं पर लागू होगाे, जो नीचे दी गई अनुसूचि में निर्दिष्ट है,"

और जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निर्धारित किया गयाः

"1- गंगोल "A" सम्पदा का एजेन्सी क्षेत्र ,जिसमें शामिल है.....

2-.....

3-गंगोल "C" सम्पदा का एजेन्सी क्षेत्र, जिसमें शामिल है....."

उक्त अधिसूचना की वैधता को, उन दो अपीलार्थीयों द्वारा जो गंगोल "A" व गंगोल "C" सम्पदा के मालिक है, द्वारा विवादित किया गया है । अपीलार्थीयों द्वारा दो रिट याचिकाएं जिनकी संख्या क्रमशः 28 व 29 थी, को आन्ध्र उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई और इस सामान्य निर्णय के विरूद्व लैटर्स पेटेन्ट के तहत प्रस्तुत अपीलों को भी उस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये प्रार्थनापत्र को भी खारिज कर दिया गया था, किन्तु न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयों को विशेष अनुमति देने से

,मामला अब हमारे सामने है? मद्रास सम्पदा (उन्मूलन और रैयतवाडी में रूपान्तरण) अधिनियम 1948 जिसे हम उन्मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित करेंगे, बिचौलिया के उन्मूलन द्वारा भूमि कार्यकाल और भूमि धारण सुधार को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित राज्य का एक कानून था। देश के बाकी हिस्सों में इसी तरह के कानून के अनुरूप,तीन श्रेणियों के बिचौलियों-जमींदारों, अल्पावधिधारकों और इनामदारों की सम्पदाओं के हितों को सरकार में निहित करने में एक अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा सक्षम बनाया गया था, इस तरह के अधिगृहण के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जा रहा था। गंगोल "A" व "C" सम्पदाओ के मामले में पूरी कानूनी कठिनाईयां, जो निशिचत रूप से जमीदारी थी, इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि उनमें से प्रत्येक का एक छोटा सा हिस्सा गोदावरी एजेन्सी मार्ग के रूप में जाना जाता है । यह एजेन्सी क्षेत्र मूल रूप से 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम xiv के तहत मद्रास प्रसिडेन्सी के अनुसूचित जिले के हिस्से के रूप में शामिल किया गया ।

जब गोदावरी एजेन्सी अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 द्वारा शासित किया गया तो मद्रास विधानमण्डल ने मद्रास सम्पदा भूमि अधिनियम (1908 का अधिनियम) अधिनियमित किया, जो 01 जुलाई 1908 से लागू हुआ । इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ जमीदारी सम्पदाओं के मालिकों और उन रैयतो और किरायेदारों के अधिकारों को

विनियमित किया जो सम्पदाओं में शामिल भूमि पर खेती करते थे। हालांकि, उच्च न्यायालय में कुछ तर्क उठाये गये थे, जिसमें गोदावरी एजेन्सी ट्रैक्टस पर स्टेट भूमि अधिनियम के संचालन पर विवाद किया गया था, जो हमारे सामने नहीं दोहराया गया है । यह अधिनियम अपनी शर्तो पर मद्रास की संपूर्ण प्रसिडेन्सी पर लागू होता था और मद्रास उच्च न्यायालय के कई निर्णयों में, चक्रपाणी बनाम वारहलम्बा में ([1]) न्यायमूर्ति मुथुस्वामी अय्यर के निर्णय से शुरू होते हुए 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम xiv की धारा 4 के निर्माण पर, विवाद मुश्किल से मान्य था और इसलिये इसे ठीक से छोड दिया गया । इसलिये स्थिति यह थी कि गंगोल "A" व "C" बनाने वाली संपूर्ण भूमि और गॉव मद्रास सम्पदा भूमि अधिनियम, 1908 द्वारा शासित थे ।

(1) (1894) आई.एल.आर. 18 मद, 227 ।

 और इस अधिनियम के अर्थ के भीतर "सम्पदा" थे। इन परिस्थितियों में भारत सरकार अधिनियम, 1935 01 अप्रेल 1937 को लागू हुआ । इसके प्रावधानों में गोदावरी एजेन्सी का क्षेत्र, जिसे अधिनियम की धारा 91 के "ऑशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों" के वर्ग के रूप में शामिल किया गया था। "ऑशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों" में लागू होने वाले कानून और उनका प्रशासन धारा 92 द्वारा शासित थे जिनमें अधिनियमित कियाः

"92 (1) एक प्रान्त का कार्यकारी प्राधिकरण वहां के अपवर्जित और ऑशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों तक विस्तारित होगाा लेकिन, इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, संघीय विधायिका या प्रान्त का कोई अधिनियम अपवर्जित या ऑशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र पर लागू नहीं होगाा जब तक कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्देश ना दे दे तथा राज्यपाल किसी अधिनियम के संबंध में ऐसे निर्देश देने में यह निर्देश दे सकता है कि अधिनियम अनुप्रयोग क्षेत्र में, या उसके ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन रहते हुए होगाा जैसे कि किसी विर्निदिष्ट भाग पर प्रभाव, वह सही समझता है ।

(2) राज्यपाल प्रान्त के किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए, जो कुछ समय के लिए अपवर्जित है या आंशिक रूप से अपवर्जित है, की शांति व अच्छी सरकार के लिए विनियमन बना सकता है और ऐसे कोई भी विनियम संघीय विधायिका या प्रान्तीय विधायिका या किसी वर्तमान भारतीय कानून, जो अभी के लिए, विचाराधीन क्षेत्र में लागू है । इस उपधारा के तहत बनाये गये विनियमन गर्वनर जनरल के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किये जावेगे और जब तक उसके विवेक से

उसके द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगाा और अधिनियम के इस भाग के प्रावधान महामहिम की अधिनियम को अस्वीकृत करने की शक्ति गर्वनर जनरल द्वारा अनुमोदित विनियमन पर वैसे ही लागू होगाी जैसे कि वे एक प्रान्तीय कानून के अधिनियमों के संबंध में लागू होती ।

(3) राज्यपाल, एक प्रान्त के किसी भी क्षेत्र के संबंध में, जो कुछ समय के लिए अपवर्जित क्षेत्र है, अपने विवेक से कार्य करेगा।"

हम कुछ समय बाद सम्पदा भूमि अधिनियम, 1908 और उन्मूलन अधिनियम के बीच के अंतर के संबंध में इशारा करेगे ।

लेकिन वर्तमान विवरण के लिए यह कहना पर्याप्त है कि जब 1948 में उन्मूलन अधिनियम ,अधिनियमित किया गया था, जो यह अपने बल से "आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों" पर लागू नहीं हो सकता था और अधिनियम को उस क्षेत्र में लागू करने के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी परिकल्पना धारा 92 भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी । परिणाम यह हुआ कि गंगोल "A" व "C" का केवल एक हिस्सा उन्मूलन अधिनियम के संचालन के भीतर था, जबकि प्रत्येक सम्पदा के कुछ हिस्से थे जो इसके दायरे व संचालन से बाहर थे ।

हालांकि इस कानूनी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया व इस गलत धारणा के तहत कि उन्मूलन अधिनियम गोदावरी एजेन्सी में भी लागू था, मद्रास सरकार ने 15 अगस्त 1950 को उन्मूलन अधिनियम की धारा 1 (4) के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा, अन्य सम्पदाओं के साथ संपूर्ण गंगोल सम्पदा "A" व गंगोल सम्पदा "C" की संपूर्णता को कथित रूप से ले लिया जाना था और 07 सितम्बर 1950 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया जिस दिन निहित होना था । हालांकि, बाद की तारीख से पहले, त्रुटि देख ली गई व इसके परिणामस्वरूप 05 सितम्बर को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा गंगोल सम्पदा "A" व गंगोल सम्पदा "C" के आंशिक अपवर्जित क्षेत्र में स्थित गांव व बस्तियों को 15 अगस्त 1950 की अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया था। इसके बाद “आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों“ में उन्मूलन अधिनियम के विस्तार का सवाल उठाया गया । उस तिथि तक, यह देखा जायेगा कि संविधान लागू हो गया था और गोदावरी एजेन्सी जैसे क्षेत्रों पर लागू कानून संविधान के अनुच्छेद 244 सपठित अनुसूचि v द्वारा प्रदान किया गया था । अनुच्छेद 244 (1) अधिनियमितः

> “पांचवी अनुसूचि के प्रावधान असम राज्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियन्त्रण पर लागू होगाेंं“

जहां तक अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानून का संबंध है, प्रासंगिक प्रावधान वह है जो उस अनुसूचि के पैराग्राफ 5 में निहित है जिसका महत्वपूर्ण भाग हैः " 5- अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानून -

(1) इस संविधान में कुछ भी होते हुए, राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना"

2 एस.सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 541

निर्देश दे सकेगा कि संसद का कोई विशेष अधिनियम या राज्य का कोई विधानमण्डल राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या राज्य में उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगाा या अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगाा, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस पैरा में दिया गया निर्देश ऐसा हाे सकता है ताकि पूर्वव्यापी प्रभाव हो ।

(2) राज्यपाल, राज्य के किसी भी क्षेत्र में शांति व अच्छी सरकार के लिए विनियमन बना सकता है, जो कुछ समय के लिए एक अनुसूचित क्षेत्र है ।.....

.....

.....

.....

(3) इस पैराग्राफ् के उप पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट कोई भी विनियमन बनाने में, राज्यपाल संसद के किसी अधिनियम या राज्य के विधानमण्डल या किसी मौजूदा कानून को, जो कुछ समय के लिए, उस क्षेत्र में लागू है, को कुछ समय के लिए निरस्त या संशोधित कर सकता है।"

पॉचवी अनुसूचि के पैराग्राफ 5 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, 1951 का मद्रास विनियमन iv, 8 सितम्बर, 1951 को पारित किया गया । इसके संचालन का क्षेत्रीय विस्तार अनुसूचि में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया,जिसमें गोदावरी जिले के वे क्षेत्र शामिल थे जिनमें दो गंगोल सम्पाएं स्थित थी और उसके परिचालन प्रावधानों द्वारा उन्मूलन अधिनियम को संशोधनों सहित 19 अप्रेल, 1949 से पूर्वव्यापी प्रभाव से इन क्षेत्रों पर लागू किया गया था । इस प्रकार उन्मूलन अधिनियम को गंगोल "A" व गंगोल "C" सम्पदाओं के उस हिस्से तक विस्तारित किया गया है जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है , भारत सरकार ने विवादित अधिसूचना जारी करते हुए सम्पदा के उन हिस्सों को निहित किया जिन हिस्सों पर 1951 के अधिनियम iv द्वारा अधिनियम का

विस्तार किया गया था । जैसा कि पहले कहा गया है, यह इस अंतिम अधिसूचना की वैधता और गंगोल "A" व गंगोल "C" के उन हिस्सों को, जो अनुसूचित क्षेत्र के भीतर निहित किये गये, को हमारे सामने अपीलों में चुनौती दी गई है ।

इस अधिसूचना पर कई आधारों पर आपत्ति जताई गई थी, जिनमें से सभी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये गये ।

उनमें से कई को हमारे सामने रखा गया है, हालांकि उनमें से सभी पर समान रूप से जाेर नहीं दिया गया है किन्तु उन पर ध्यान देने से पहले उन प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना सुविधाजनक होगाा जिन बिन्दुओं पर आग्रह किया गया है । उन्मूलन अधिनियम का लम्बा शीर्षक कहता हैः

> "जबकि स्थाई समझौते को निरस्त करने का उपाय दिया जा सकता हो तो उन भूमिधारकों के अधिकारों, जो स्थायी रूप से नहीं बसे हो और मद्रास प्रान्त में कुछ अन्य सम्पदाओंके अधिगृहण यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है " धारा 1 (3) इसके अनुप्रयोग की सीमा को परिभाषित करती है" यह "मद्रास सम्पदा भूमि अधिनियम," 1908 की धारा 3, खण्ड (2) में परिभाषित सभी सम्पदाओं पर लागू होता है, सिवाए इनाम

गॉवों के जो मद्रास सम्पदा भूमि (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1936 के आधार पर सम्पदा बन गये थे । "

धारा 2 जो परिभाषा खण्ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई है ।

"(1) सम्पदा भूमि अधिनियम में परिभाषित सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगाा जो इस अधिनियम द्वारा किये गये परिवर्तन, यदि कोई हो, के साथ उस अधिनियम में है ।

और उपधारा (3) प्रावधानित करती हैः

" (3) सम्पदा का अर्थ है एक जमींदारी या एक अल्प कार्यकाल या इनाम सम्पदा"

और इस धारा कि उपधारा (4) में "सम्पदा भूमि अधिनियम" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है" मद्रास सम्पदा भूमि अधिनियम, 1908

" इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सम्पदा भूमि की शर्तो को संदर्भित करना आवश्यक है जिसे उन्मूलन अधिनियम की धारा 1(2) द्वारा निर्देशित किया गया है । सम्पदा भूमि अधिनियम की धारा 3(2)" एक सम्पदा" का अर्थ परिभाषित करती है ।

"3 (2) (a) कोई स्थाई रूप से बसी हुई सम्पदा या अस्थाई रूप से बसी जमींदारी,

(b) ऐसी स्थाई रूप से बसी हुई सम्पत्ति या अस्थाई रूप से बीस जमींदार का कोई भी हिस्सा जो कलेक्टर के कार्यालय में अलग से पंजीकृत है,

(c).....

(d).....

(e)..... "

अब हम उठाये गये कई बिन्दओं से निपटने के लिए आगे बढेगे हालांकि एक को छोडकर अन्य सभी किसी गंभीर विचार के योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा सही प्रकार से खारिज कर दिया गया है । पहला बिन्दु जो उठाया गया है वह है कि पोलावरम जमीदारी-मूल सम्पदा जिससे गंगोल सम्पदा बारबार उपखडित होकर अलग हुआ था, "एक स्थाई रूप से बसी सम्पदा" नहीं थी क्योंकि 1802 के मद्रास स्थाई समझौता विनियमन xxv को अनुसूचित जिलों में इसके अनुप्रयोग से कानुन स्थानीय विस्तार अधिनियम,1874 के द्वारा बाहर रखा गया था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया है क्योंकि मद्रास स्थाई समझौता विनियमन लागू हीं नहीं हुआ कोई विवाद नहीं हो

सकता था कि पोलावरम जमीदारी स्थाई रूप से एक जमींदारी थी क्योंकि उसकी पेशकेश स्थायी थी और काबूलियत जो मालिक द्वारा निष्पादित की गई थी से यह साफ होता है कि वह मद्रास स्थाई समझौता विनियमन के तहत जारी किए गये सनद व कबूलियात के नमूने के अनुरूप है ।

यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि 15 अगस्त,1950 को धारा 1(4) उन्मूलन अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने से राज्य सरकार की शक्ति समाप्त हो गई थी और वे उसी अधिनियम में आगे कोई अधिसूचना जारी करने में अक्षम थे ।यह तर्क, जिसमें कोई आधार नहीं है को गंभीरता से उठाया नहीं गया ।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि 1951 का विनियमन iv संविधान के पांचवे अनुच्छेद के पैरा 5 (1) तथा (2) द्वारा अनुमत सीमाओं को पार करने के कारण अमान्य था । यह कहा गया कि यदि राज्यपाल पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई कानून बनाना चाहता है तो वह स्वयं द्वारा बनाया गया कानून होना चाहिए, लेकिन यदि वह अनुसूचित क्षेत्रों पर एक ऐसा कानुन लागू करता है जो राज्य में पहले से ही लागू है तो वह पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं कर सकता। सरल शब्दों में कहे तो तर्क केवल इतना है कि राज्यपाल को इस विनियमन में उन्मूलन अधिनियम की शर्तो को दोहराना चाहिए था लेकिन यदि वह केवल अधिनियम के शीर्षक का उल्लेख करते है तो वह उस क्षेत्र पर इसके प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दे सकते है जिस पर

इसे लागू किया जा रहा था । यह स्पष्ट है कि यह तर्क उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से नकार दिया गया ।

अब हम श्री विश्वनाथ शास्त्री द्वारा उठाये गये एक मात्र बिन्दु से निपटने के लिए आगे बढेगें, जो गंभीर विचार के योग्य है, हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि इसे आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष उसे उसी रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। तर्क इस प्रकार थाः मद्रास सम्पदा भूमि अधिनियम 1908 स्वीकार्य रूप से पूर्ण गंगोल क्षेत्र पर लागू था जिसमें सम्पत्ति का वह क्षेत्र भी शामिल था जो अनुसूचित क्षेत्र में थी जो सरकार द्वारा नियोजित वाक्यांश विज्ञान में भारत सरकार अधिनियम के तहत "एक आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र" था गंगोल "A" गंगोल "B" तथा गंगोल "C" को उपविभाजित किया गया और अलग से पंजीकृत किया गया । इसलिये उनमें से प्रत्येक एक इकाई थी- प्रत्येक स्थाई रूप से बसी सम्पदा का भाग होने से सम्पदा भूमि अधिनियम, 1908 की धारा 3 (2) (ख) के तहत" एक सम्पदा" थी.....जो कलेक्टर के कार्यालय में अलग से पंजीकृत है। उन्मूलन अधिनियम " सम्पदा को एक इकाई के रूप में अधिगृहण करने पर विचार करता है ना कि भागों में। उन्मूलन अधिनियम की पूरी योजना इस सिद्वान्त पर आधारित है, जो उलट जायेगी यदि उन्मूलन अधिनियम की धारा 1(4) में सरकार अधिसूचना जारी करके ईकाईयों के भाग को ले

लेगी । जब धारा 1 (4) में अधिसूचना जारी की जाती है तो उसके विधिक परिणाम धारा 3 में निर्धारित किए गये है जो पढते हैः

"अधिसूचित तिथि से प्रभावी और अन्यथा इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई बचत के साथ (बचत में वर्तमान उदेश्य के लिए कुछ भी सामग्री शामिल नहीं है)-

(a).....
.....

(b).संपूर्ण सम्पदा (सभी साम्प्रदायिक सम्पदाओं, पोरम्बोक्स, अन्य गैररियायती भूमि सहित.....) सरकार को हस्तानान्तरित कर दी जावेगी और सभी बाधाओं से मुक्त होकर उसमें निहित हो जावेगी..... "

अधिनियम में क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने वाले प्रावधान संपूर्ण सम्पदा से देय राशि से संबंधित है । धारा 24 व 25

"24 सम्पदा के संबंध में देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा"

"25 क्षतिपूर्रति पूरी सम्पदा के लिए निधार्रित की जावेगी ना कि उसके प्रत्येक हित के लिए अलग से । "

क्षतिपूर्ति राशि की गणना का तरीका जिसके लिए धाराए 27 से 30 में प्रावधान किया गया है, इस आधार पर आगे बढते है कि यह संपूर्ण सम्पत्ति है जो अधिगृहित की जाती है ना कि सम्पत्ति का एक हिस्सा इन सभी को मिलाकर देखे तो अधिनियम की उस योजना की ओर इशारा करेगे जिसमें संपूर्ण सम्पत्ति पर कब्जा करने का विचार किया जा रहा है । उस योजना पर उन्होने आग्रह किया कि किसी सम्पत्ति के अलग अलग क्षेत्रों के लिए देय क्षतिपूर्ति की गणना करना संभव नहीं होगाा, उदाहरण के लिए एक सम्पत्ति में शामिल कई गांव में एक गांव के लिए, मालिक द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु सरकार के विरूद्व किए गये दावे साथ ही क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावेदारों के मध्य अंतर -निर्णय का निधारण, सभी इस आधार पर आगे बढते है कि अधिसूचना की धारा 1 (4) के द्वारा पूर्ण सम्पदा को एक इकाई के रूप में लिया गया था ।

इन परिसरों में श्रीविश्वनाथ शास्त्री ने तर्क दिया कि सरकार ने जो वर्तमान मामले में किया था वह गंगाेल "A" व गंगोल "C" की दो सम्पदाओं से निपटने के लिए था, जिसमें से प्रत्येक एक इकाई थी, जैसे कि उनमें से प्रत्येक दो जागीरे थी- एक जो एजेन्सी ट्रेक्ट में स्थित था और दूसरा उस क्षेत्र के बाहर - और इनकी इकाईयों के संबंध् में अधिसूचना

जारी की थी। पीस मील जिस पर विचार नहीं किया गया था इसलिये उन्मूलन अधिनियम के तहत इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होने आगे इंगित किया कि यदि दिनांक 15 अगस्त, 1950 की मूल अधिसूचना, 5 सितम्बर 1950 की अधिसूचना से रद्द नहीं किये जाने से प्रभावी रहती है तो 1951 के विनियमन 4 का पूर्वव्यापी संचालन के कारण वैध निहितिकरण हो सकता है। इसी प्रकार यदि 1953 की आक्षेपित अधिसूचना में ना केवल गंगोल "A" व गंगोल "C" सम्पदा का वह हिस्सा शामिल था, जो अनुसूचित क्षेत्र के भीतर थे अपितु दोनों सम्पदाओं की संपूर्णता भी शामिल थी तो उस अधिसूचना को चुनौती नहीं दी जा सकती किन्तु जो बिन्दु उठाया गया था वह यह था कि (1) 15 अगस्त 1950 की अधिसूचना, जो 5 सितम्बर 1950 की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित किया गया था और (2) 14 जनवरी, 1953 की अधिसूचना

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 546/(1962)के संयुक्त संचालन द्वारा ही दोनों " सम्पदाओं " की संपूर्णता को लिया गया था और इससे दूसरी अधिसूचना अमान्य हो गई क्योंकि इसने सम्पदा के केवल एक हिस्से पर कब्जा किया था । विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गंगोल "A" व गंगोल "C" के उन हिस्सों पर कब्जा जो अनुसूचित क्षेत्रों में इसके विस्तार से पहले उन्मूलन अधिनियम के संचालन के अंतर्गत थे, को चुनौती दी गई। वे पहले अनुसूचि में शामिल सम्पदा के

हिस्से के संबंध में किसी भी राहत के अधिकारी नहीं होगाे लेकिन उनका तर्क यह था कि उन्हें दो सम्पदओं के उन हिस्सों को निहित करने वाले अंतिम अधिसूचना की वैधता पर विवाद करने से नहीं रोका जावेगा जो राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर थे ।

अब हम इन प्रस्तुतियों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए आगे बढेगे । हम यह देखते हुए चर्चा का आधार बना सकते है कि विद्वान वकील अपने कथन में सही है कि उन्मूलन अधिनियम केवल सम्पदाओं के विशेष भागों के अधिगृहण पर विचार या प्रावधान नहीं करता है और यदि राज्य सरकार, जिसको किसी सम्पदा की पूर्णता को लेने की शक्ति है, और वह इसके कुछ हिस्सों को निहित सूचना के संचालन से बाहर करने के लिए चुनती है तथा केवल एक सम्पदा के परिभाषित हिस्सों को लिया जाता है, तो यह इस आधार पर गंभीर चुनौती के लिए खुला हो सकता है कि अधिनियम की योजना द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था लेकिन हमारी राय में इस सिद्वान्त की स्वीकृति हमें अपीलार्थी के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं करती है ।

आरम्भ करने के लिए, यह इंगित किया जाता है यह कुछ विसंगति पूर्ण लगता है कि विद्वान अधिवक्ता जो दृढता से आग्रह करते है कि अधिनियम की योजना केवल सम्पदा की संपूर्णता पर अधिगृहण करने पर

विचार करती है, ना कि उसके एक हिस्से पर तो उसे अधिगृहण का विरोध करना चाहिए, जिसके प्रभावी होने के परिणामस्वरुप, यदि संपूर्ण सम्पदा सरकार में निहित हो जावेगी और अधिनियम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति का निधारण किया जायेगा जबकि यह विवादित अधिसूचना की अमान्यता है जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या टुकडों में अधिगृहण होगाा । मालिकों के नुकसान के लिए, जिस पर विद्वान अधिवक्ता ने बहुत अच्छी तरह से हमारा ध्यान आकृषित किया ।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह था कि ना केवल 14 जनवरी 1953 की अधिसूचना बल्कि 15 अगस्त 1950 की पूर्व अधिसूचना भी (जिसे 05 सितम्बर 1950 को संशोधित किया गया था), केवल सम्पदा के भागों को निहित करने के प्रावधान के रूप में अमान्य थी ना कि एक इकाई के रूप में । इसका यह भी पालन होगाा कि यदि 15 अगस्त 1950 की पहली अधिसूचना वैध थी तो लागू की गई आक्षेपित अधिसूचना, जिसने राज्य में संपूर्ण सम्पत्ति के निहितार्थ को प्रभवित किया, उसे विद्वान अधिवक्ता द्वारा लागू किये गये सिद्वान्त का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती थी ।

14 जनवरी 1953 की विवादित अधिसूचना की वैधता से निपटने के लिए 15 अगस्त, 1950 की पहली अधिसूचना पर विचार करने के लिए हम प्रेरित है। इस मामले पर विचार करने के लिए उन्मूलन अधिनियम के

कुछ प्रावधानों को ज्ञात करना आवश्यक है । धारा 2(3) "एक सम्पदा " को परिभाषित करती है- जिसका अर्थ है, अन्य बातों के साथ साथ, एक " जमींदारी सम्पदा" इसमें कोई सन्देह नहीं है जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जहां उन्मुलन अधिनियम "पूरी जमींदारी सम्पदा" पर लागू होता है वहां यह नहीं है कि सरकार ऐसी "सम्पदा" का केवल एक हिस्सा लेने पर विचार करे लेकिन यह नहीं माना जावेगा कि यदि एक सम्पदा के संबंध में दो अधिसूचना जारी की गई थी, मान लिजिए एक ही तारीख को, जिन्होने "सम्पदा" की संपूर्णता को राज्य में, अधिसूचना या दोनोंे से निहित कर दिया तो दोनों साथ में धारा 3 में अवैध व अप्रभावी होगाी। इसका कारण स्पष्ट रूप से यह होना चाहिए कि सरकार की मन्शा पूरी सम्पत्ति पर कब्जा करने की थी - हालांकि यह दो अधिूसचना जारी करके प्रभावी बनाया जाना था, यह स्पष्ट रूप से एक ही बात नहीं होगाी जैसे सरकार को अन्य गांवों को छोडकर कुछ गांवों या सम्पत्ति के कुछ हिस्सों को चुनने की स्वतन्त्रता है । यदि उन्मूलन अधिनियम, जैसा अधिनियमित किया गया है एक "सम्पदा " की संपूर्णता तक विस्तारित नहीं है। जबकि उसके एक भाग के लिए तो प्रश्न यह होगाा कि क्या "सम्पदा "का वह भाग, जो अधिनियम के संचालन के भीतर है, अधिनियम के अर्थ में "एक सम्पदा" है या नहीं । इस विषय पर दो विचार हो सकते हैः (1) कि उन्मूलन अधिनियम के संदर्भ में जैसा कि मद्रास सम्पदा भूमि अधिनियम, के प्रावधानों को शामिल किया गया ।

"सम्पदाएं" जिन पर उन्मूलन अधिनियम लागू हो सकता है, वे केवल वे हैं जो "सम्पदा भूमि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सम्पदायें हैं और जो पूरी तरह से उन्मूलन अधिनियम के संचालन के भीतर भी है। दूसरे शब्दों में भले ही सम्पदा भूमि अधिनियम में परिभाषित कुछ एकड "संपदा" उन्मूलन अधिनियम के संचालन से बाहर थी, तो यह एक ऐसी "सम्पदा" नहीं होगाी जिस पर कब्जा किया जा सके। दूसरा दृष्टिकोण कानून में अन्तनिर्हित नीति और उददेश्य के लिये एक महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करता है अर्थात भूमि जो निर्दिष्ट कार्यकालों के लिये और अधिनियम के क्षेत्रिय संचालन के भीतर रखी गई और सम्पदा की श्रेणी में आने वाली भूमि जिसे कब्जे में लिया जाना है और सरकार में निहित करना है। हमारे विचार से कानून के आशय के अनुसार और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये बाद वाले दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस संबंध में यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि विद्वान वकील का पूरा तर्क उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (उस अधिनियम की धारा 1(3) के साथ पढे) और उसमें निहित परिभाषा के शुरआती शब्दों पर लागू की जा सकती है। जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। स्थिति में संभवतः इन शब्दों में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। मान लिजिये कि 1951 का विनियमन iv अधिनियमित नहीं किया गया था। क्या राज्य सरकार सम्पदा के उस हिस्से को अपने कब्जे में ले सकती है जो उन्मूलन अधिनियम के संचालन के भीतर था या एक

सम्पत्ति की परिभाषा और संदर्भ मद्रास संपदा भूमि अधिनियम 1908 की धारा 1 (3) से धारा 3 (2) राज्य को उस हिस्से पर कब्जा करने से रोकता है क्योंकि अधिनियम का विस्तार पूर्ण संपदा पर नहीं होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस सवाल का केवल एक ही तरीके से उत्तर दिया जा सकता है कि उन्मूलन अधिनियम में एक सम्पदा की परिभाषा "सम्पदा" के उस हिस्से तक सिमित होनी चाहिये जो अधिनियम के संचालन के भीतर है और कोई निर्माण का अर्थ यह होगाा कि यदि वह अधिनियम एक संपदा के किसी वर्ग पर लागू नहीं होता है तो यह अधिनियम द्वारा शासित एक संपदा नहीं रह जाती है जो हमारी राय में स्पष्ट रुप से अधिनियम के इरादे के विपरीत होगा

जैसा इसकी प्रस्तावना और कार्यात्मक प्रावधानों से एकित्रत किया गया है मान लिजिये कि सम्पत्ति के एक हिस्से के अनूसूचित क्षेत्र में होने और इसलिये राज्य विधान मण्डल की सामान्य विधायी शक्ति से बाहर होने के कारण उत्पन्न हुई समस्या के बजाये राज्य के पूनर्गठन के कारण स्थायी रुप से बसी संपदा मद्रास और आन्ध्र दोनों राज्यों के क्षेत्र के भीतर आ गई जिसके परिणामस्वरुप उन्मूलन अधिनियम के तहत अधिग्रहण केवल मद्रास राज्य के भीतर किया जा सकता है। क्या तब यह तर्क दिया जा सकता है कि मद्रास राज्य के भीतर सम्पदा का भाग संपदा की परिभाषा में नहीं आता है और इसी लिये अधिसूचना की धारा 1 (4) के

तहत कब्जे में नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में ऐसे प्रश्न का,अपीलार्थीयों के विद्वान वकील का यह उत्तर था कि इसे लिया जा सकता है लेकिन इस कारण से कि ऐसे मामले में राज्य क्षेत्र के बाहर के हिस्से " मद्रास संपदा भूमि अधिनियम" के तहत एक संपदा बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप संपदा भूमि अधिनियम के तहत संपदा का गठन करने वाली इकाई और उन्मूलन अधिनियम के तहत एक संपदा की अवधारणा के मध्य अन्तर संबंध बाधित नहीं हुये हालांकि यह एक पूर्ण उत्तर के रुप में मुश्किल से पर्याप्त है क्योंकि संपदा का एक हिस्सा मद्रास के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थित होने के बाद भी राज्य, "मद्रास संपदा भूमि अधिनियम" द्वारा शासित हो सकता है उदाहरण में प्रासंगिक यह है कि संपदा का गठन करने वाली इकाई, जिसे लिया जा रहा है कि अवधारणा के साथ साथ इसमें एक और सिद्वान्त अन्तर्निहित है कि यह पर्याप्त है यदि उस सम्पत्ति की पूर्णता, जिस पर राज्य विधायिका को क्षमता है, को अपने हाथ में लिया गया है। इस प्रकार हाथ में लिये जाने से, अधिनियम की योजना को लागू करने में विद्वान वकील द्वारा उठाई गई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगाी क्योंकि लिया गया भाग संपदा गठित करेगा और उस इकाई के लिये क्षतिपूर्ति की गणना का आधार धारा 24 व उसके बाद की धारायें होगाी संपदा के अन्य भाग, अधिनियम के क्षेत्रिय संचालन से परे बने रहेगें ताकि राज्य **सुप्रिम कोर्ट रिपोर्टस 548 / (1962)**

सरकार उन्हे अपने नियंत्रण में लेने की स्थिति में नहीं हो सके।

हम तदानुसार मानते हैं कि दिनांक 15 अगस्त, 1950 की पहली अधिसूचना के बाध्यकारी होने और अपीलार्थीयों द्वारा इन कार्यवाहियों को चुनौती देने के लिये खुले नहीं होने के अलावा, उस हिस्से को निहित करने के लिये कानून में वैध व प्रभावी है, जिस राज्य सरकार से संबंधित है। फिर हमारे पास 1951 का विनियमन iv है जो सम्पत्ति के दूसरे हिस्से को लाया,जिस पर उन्मूलन अधिनियम मूल रुप से उस अधिनियम के संचालन के भीतर विस्तारित नहीं हुआ था । यदि कानून में, इस परिवर्तन के बाद, सरकार ने शेष संपत्ति को अपने नियंत्रण में नहीं लिया, तो यह आपत्ति खुली रहेगी कि राज्य सरकार ने संपत्ति को कृत्रिम रुप से दों भागों में विभाजित किया था और एक भाग को अपने कब्जे में लिया था या अपने कब्जे में रखा था, और इसके बावजूद कि अधिनियम में एक सम्पदा का गठन करने वाली इकाई पर कब्जा किया जा रहा है, उस सिद्घान्त से हट गया था इसलिये आक्षेपित अधिसूचना अमान्य होने से कहीं दूर, उसी सिद्घात को संतुष्ट करने के लिए जारी की जाना आवश्यक थी जिसे अपीलार्थी के वकील ने उन्मूलन अधिनियम की योजना में अंतर्निहित सिद्घान्त के रुप में प्रस्तुत किया है । इसलिये हम मानते हैं कि 14 जनवरी 1953 की विवादित अधिसूचना की वैधता को चुनौती को निरस्त किया जाना चाहिए । इस प्रकार हम उच्च न्यायालय के विद्वान

न्यायाधीशों के समान निष्कर्ष पर पहुंचें हैं, हालांकि अलग तर्क के कारण । अपील विफल हो जाती हैं और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है । एक सेट याचिकांए खारिज कर दी गई । अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **सोनाली प्रशांत शर्मा, (न्यायिक अधिकारी)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगाा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगाा।